कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/02/2026

श्री सुभाष चन्द निवासी ग्राम नौहरदा, रूपवास जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रूपवास

.......रैस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 05.02.2026

अपीलार्थी श्री सुभाष चन्द निवासी ग्राम नौहरदा, रूपवास जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील संख्या 060698129009086 इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना तहसीलदार रूपवास से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/26/58 दिनांक 30.01.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, एवं तहसीलदार रूपवास से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रूपवास से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रूपवास से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई है, यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 02 / 2026
सुभाष चन्द बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार रूपवास

अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर